



राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 17, बुधवार, शाके 1934—अगस्त 8, 2012  
*Sravana 17, Wednesday, Saka 1934—August 8, 2012*

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 31, 2012

संख्या एफ. 34(1)/चिस्वा/ग्रुप—2/2012:— गर्भाधारण—पूर्व और प्रसव—पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17(6) के अनुसार, संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारी को उनके कार्यों के निर्वाहन में सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य सरकार तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का मनोनयन निम्न प्रकार से किये जाने के आदेश प्रदान करती है :—

1. डॉ. श्रीमती पवन सुराणा, महिला संगठन की प्रतिनिधि एस-6, पीयूष मार्ग बापूनगर जयपुर।
2. डॉ. श्रीमती मीता सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, ई-24, दुर्गमार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. श्रीमती राखी बधवार, प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, (सी.एफ.ए.आर.), 88 सूरज नगर, सूरज नगर ईस्ट, सिविल लाइन्स, जयपुर।

उक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
सुनिल कुमार शर्मा,  
शासन उप सचिव।